सवालसं० 65 शब्द संख्या 180

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सरधना जिला मेरठ।

वाद संख्या 30 अ0 धारा 143 ज0वि0अधि0

पंडित मलखानसिंह मैमोरियल बनाम उ0प्र0 सरकार

ग्राम पनवाड़ी परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ।

नकल निर्णय दिनांक 29.12.12

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 में पंडित मलखान सिंह मैमोरियल शिक्षा समिति (ग्राम भराला दौराला जिला मेरठ) ग्राम भराला परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ द्वारा उपाध्यक्ष श्रीमती वर्षा भारद्वाज पत्नी सुनील कुमार निवासी ग्राम बहराला परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर आरम्भ हुई है। वादी ने अपने पार्थना पत्र में कथन किया है कि ग्राम पनवाड़ी की भूमि खाता संख्या 306 खसरा संख्या 562 रकबा 2.0900हे0 लगान 98.40 रुपये सालाना में से 5166.2/3हे0 का वह संक्रमणीय भूमिधर, मालिक व काबिज है। उक्त गाटा आबादी से मिला हुआ है तथा मौके पर आबादी बनी हुई है। उक्त गाटा नम्बर को आबादी में प्रयोग होने के कारण आबादी घोषित की जाये। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से जाँच करायी गयी।

तहसीलदार सरधना ने अपनी आख्या दिनांक 27.12.2012 में उल्लेख किया है कि ग्राम पनवाड़ी के भूमि खाता संख्या 306 खसरा संख्या 562 रकबा 2.0990हे0 लगान 98.40 रुपये सालाना में से 0.5166.2/3हे0 का वादी संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। स्थल पर भूमि का उपयोग आबादी कार्य में हो रहा है। भूमि का उपयोग पशुपालन, कुक्कुट पालन, मतस्य पालन, बागबानी में नहीं हो रहा है। मौके पर दीवार बनी हुई है। उपरोक्त भूमि पुर्नवास पट्टे की नहीं है अतः ज0वि0अधि0 की धारा 143 के नियम 135 के अन्तर्गत आबादी घोषित करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है।

न्यायालय में उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या में उक्त भूमि का उपयोग आबादी में होना बताया गया है तथा तहसीलदार द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति आबादी घोषित करने के लिए की गयी है। अतः तहसीलदार की आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विश्लेषण अनुसार तहसीलदार की आख्या स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पनवाड़ी की भूमि खाता संख्या 306 खसरा 562 रकबा 2.0990हे0 लगान 98.40 रुपये सालाना में से 0.5166.2/3हे0 को गैर कृषि प्रयोजन हेतु घोषित किया जाता है। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ अथवा नगर निगम से तथा अन्य किसी प्राविधान से विपरीत आदेश प्राप्त होने पर यह आदेश गैर कृषि प्रयोजन हेतु का आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आदेश की प्रति उपनिबन्धक सरधना को प्रेषित हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

प्रतिलिपि हेतु दिये जाने का दिनांक 02-12-12
प्रार्थना पत्र का दिनांक 29-12-12
प्रतिलिपि तैयार होने का दिनांक 29.12.12
प्रतिलिपि देने का दिनांक
प्रतिलिपि निर्गत करने वाले के हस्ताक्षर

दिनांक – 29.12.12

उपजिलाधिकारी
सरधना।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हसताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

उपजिलाधिकारी
सरधना।

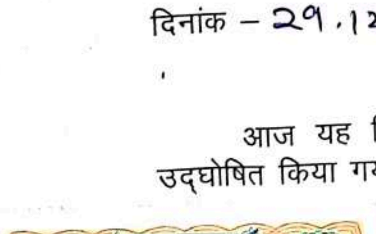

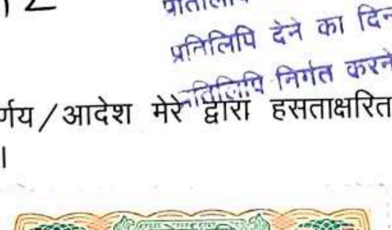

मिलान कर्ता
पुष्टि कर्ता

प्रतिलिपि सं० – 5011/12-3-18
आदेश – 27-10-17
ग्राम – पनवाड़ी प०दौ०त०स०जि०मेरठ।

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सरधना जिला मेरठ।

अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0रा0संहिता–2006

वाद संख्या 38 / टी–201711522043135 — सरकार।

बनाम

पं0मलखान सिंह मैमो0
ग्राम पनवाड़ी परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0रा0संहिता पंडित मलखान सिंह मैमोरियल शिक्षा समिति, बहराला (भराला) द्वारा उपाध्यक्ष श्रीमती वर्षा भारद्वाज पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी बहराला (भराला) परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ के प्रार्थना पत्र दिनांक 25–03–2017 के आधार पर योजित हुआ है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि प्रार्थी भूमि खाता संख्या 317 के खसरा नम्बर 562 रकबा 2.0900है0 में से 0.5000है0 भूमि स्थित ग्राम पनवाड़ी परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ के मालिक काबिज व अधिकारी हैं। उपरोक्त भूमि कृषि, बागवानी अथवा पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मतस्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से सम्बद्ध प्रयोजन में नहीं आ रही है। उक्त भूति आबादी से मिली हुई है। जो आबासीय प्रयोजन में उपयोग की जा रही है, और उक्त भूमि की चारदीवारी बनी हुई है। उक्त भूमि में काफी समय से कृषि कार्य नहीं हो रहा है। नियमानुसार प्रार्थी की भूमि उपरोक्त में आबादी घोषित करने की कृपा करें। उक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार सरधना से जाँच करायी गयी।

तहसीलदार सरधना ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 27–06–2017 में उल्लेखित किया गया है कि ग्राम पनवाड़ी परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ में स्थित भूमि के खाता संख्या 317 के खसरा नम्बर 562 रकबा 2.0900है0 में से 0.5000है0 पर पंडित मलखान सिंह मैमोरियल शिक्षा समिति, बहराला (भराला) द्वारा उपाध्यक्ष श्रीमती वर्षा भारद्वाज पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी बहराला (भराला) परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। स्थन पर भूमि का उपयोग आबादी में हो रहा है। बंदोबस्त में प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज की धारा 132 की भूमि नहीं है तथा प्रारुप नियम 135 तालिका के स्तम्भ हैं। प्रस्तावित भूमि नाली चकरोड की नहीं है। अतः उ0प्र0रा0संहिता की धारा 80 के नियम 85 के अन्तर्गत आबादी घोषित करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है।

प्रथम दृष्टया उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने योग्य है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के नियम 80 सपठित नियम 85(2) के अनुसार आवेदक उद्घोषणा शुल्क की आवश्यक रकम जमा करेगा जो कि सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का 1 प्रतिशत अथवा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत दर के अनुसार होगा। तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या में खाता संख्या 317 के खसरा नम्बर 562 रकबा 2.0900है0 में से 0.5000है0 स्थित भूमि ग्राम पनवाड़ी परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ का मूल्यांकन सर्किल रेट 27,00,000/– है जिसके अनुसार 1 प्रतिशत शुल्क अर्थात 27,000/– (सत्ताईस हजार रूपये) जिसे आवेदक से जमा कराने के उपरान्त ही भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित है। अतः उक्त धनराशि 27,000/– (सत्ताईस हजार रूपये) की धनराशि का चालान फार्म चालान सं0 03 दिनांक 27–10–2017 प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वांछित धनराशि राजकोष में जमा करायी जा चुकी है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सरधना की आख्या दिनांक 27–06–2017 स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार की जाती है। अतः –

आदेश

ग्राम पनवाड़ी परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ में स्थित भूमि के खाता संख्या 317 के खसरा नम्बर 562 रकबा 2.0900है0 में से 0.5000है0 भूमि को गैर कृषि प्रयोजन हेतु घोषित किया जाता है, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ अथवा नगर निगम से तथा अन्य किसी प्राविधान से विपरीत आदेश प्राप्त होने पर यह आदेश गैर कृषि प्रयोजन हेतु का आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफतर की जाये।

(राकेश कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी, सरधना।

आज दिनांक 27–10–2017 को यह आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(राकेश कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी, सरधना।

राजस्व अभिलेखपाल
कलक्टेट मेरठ।
फोटोस्टेट कापी
दिनांक 14-03-2018
हस्ताक्षर आर०आर०के०
दिनांक 14-03-2018

प्रतिलिपि हेतु दिये गये स्टाम्प शुल्क 13/2
प्रार्थना पत्र का दिनाक 12-3-18
प्रतिलिपि तैयार होने का दिनाक
प्रतिलिपि देने का दिनाक 14-3-2018
प्रतिलिपि निर्गत करने वाले के हस्ताक्षर 14-3-18

स्टाम्प खण्डित
स्टाम्प खण्डित